



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224866
CG-DL-E-01022021-224866

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/माघ 12, 1942

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार नीति प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

फा. सं. के-44033/1/2020- टीपीडी.—दिनांक 25 जून, 2020 की समसंख्यक राजपत्र अधिसूचना का संशोधन करते हुए, एतद्वारा आम सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव श्री अनंत स्वरूप तत्काल प्रभाव से श्री विद्युत बिहारी स्वैन, तत्कालीन विशेष सचिव के स्थान पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे :

- (i) सीमाशुल्क प्रशुल्क (सब्सिडि प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995, यथासंशोधित ;
- (ii) सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995, यथासंशोधित ;

- (iii) सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम, 1997 यथासंशोधित और सीमाशुल्क प्रशुल्क (संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियम, 2002 यथासंशोधित ; और
- (iv) रक्षोपाय साधन (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 यथासंशोधित ।

श्यामल मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(TRADE POLICY DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 1st February, 2021

F. No. K-44033/1/2020-TPD.—In modification of Gazette Notification of even number dated 25 June, 2020, it is hereby notified for the general information that Shri Anant Swarup, Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce shall discharge the functions of the Designated Authority with immediate effect, in place of Shri Bidyut Behari Swain, then Special Secretary, for the purpose of:

- i) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- ii) The Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended;
- iii) The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 as amended and Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, as amended; and
- iv) Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012, as amended.

SHYAMAL MISRA, Jt. Secy.